मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1115

10.02.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित परियोजनाएं

1115. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई परियोजना वन और पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान राज्य में सरकार के विचाराधीन योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथासंशोधित, में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक परामर्श में उठाए गए मुद्दों सहित परियोजना में शामिल सभी पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाता है। मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा ईएसी/एसईएसी की सिफारिश के आधार पर, परियोजनाओं पर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए अनुमोदन या अन्यथा के लिए आगे विचार किया जाता है। इसी प्रकार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में निर्धारित प्रक्रिया और इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है। पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार हर प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

दिनांक 04.02.2025 को प्राप्त परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2006 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकारों (**अनुलग्नक-1**) से संबंधित कुल 331 प्रस्ताव मंत्रालय और संबंधित एसईआईएए को प्रस्तुत किए गए हैं।

राजस्थान राज्य के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित कोई भी योजना वर्तमान में मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। तथापि, राजस्थान से निम्नलिखित दो प्रस्ताव अर्थात् जयपुर जिले में बिचून औद्योगिक क्षेत्र का विकास और बूंदी जिले में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण, केन्द्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गए हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) पर्यावरण और वन संबंधी मुद्दों पर विचार करने तथा ईएमपी में निर्धारित शमन उपायों सहित उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करने के बाद प्रदान की जाती है।

*****

अनुलग्नक-1

केंद्र सरकार/राज्य सरकार से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की संख्या	एसईआईएए को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	-	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	03
3.	असम	-	12
4.	बिहार	-	02
5.	चंडीगढ़	01	-
6.	छत्तीसगढ़	-	03
7.	दिल्ली	03	-
8.	गुजरात	-	13
9.	हरियाणा	-	02
10.	हिमाचल प्रदेश	-	01
11.	झारखंड	-	01
12.	कर्नाटक	-	04
13.	केरल	01	02
14.	मध्य प्रदेश	-	04
15.	महाराष्ट्र	-	193
16.	ओडिशा	-	26
17.	पंजाब	-	06
18.	राजस्थान	02	24
19.	तमिल नाडु	-	06
20.	तेलंगाना	-	11
21.	उत्तर प्रदेश	-	03
22.	उत्तराखंड	-	04
	कुल	**07**	**324**